

# **INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## **Educational Research M.Ed.**

Presented By :

**Dr. Vidya Bhushan Sharma**

Lecturer

Institute of Advance Studies in Education

Bilaspur (C.G.)



**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

1. ऐतिहासिक अनुसंधान
2. वर्णनात्मक अनुसंधान
3. सर्वेक्षण विधि अनुसंधान
4. केस स्टडी अनुसंधान
5. घटनोत्तर अनुसंधान

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## ऐतिहासिक अनुसंधान

**लैन्डमैन :** ऐतिहासिक अनुसंधान से तात्पर्य अतीत का वर्णन करने सम्बन्धी अनुसंधान से है । इस प्रकार के अनुसंधान में ऐसे अन्वेषण कार्यों जैसे अतीत की घटनाओं का अभिलेखन, विश्लेषण तथा व्याख्या करना आदि को स्थान देकर ऐसे उचित सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है जिनसे अतीत और वर्तमान को समझने तथा कुछ सीमा तक भविष्य का अनुमान लगाने में मदद मिल सके ।

**एफ.एन. करलिंगर :** ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास तथा अनुभवों का तर्कसंगत अन्वेषण है, अतीत के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों की वैधता सम्बन्धी साक्ष्य की सावधानीपूर्वक की गई जाँच है तथा जाँचे हुये साक्ष्य की व्याख्या है ।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

**ऐतिहासिक अनुसंधान :** एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयास जिसमें अतीत की घटनाओं का वर्णन, विश्लेषण तथा व्याख्या इस उद्देश्य से की जाती है कि इससे अतीत को समझने, वर्तमान को संभालने तथा भविष्य को नियोजित करने में उचित मदद मिलेगी ।

हमें ऐतिहासिक अनुसंधान पद के अर्थ एवं प्रवृत्ति के बारे में निम्न जानकारी मिलती है ।

1. ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध भूतकालीन वस्तुओं और घटनाओं के अध्ययन से होता है ।
2. किसी भी चीज के उद्गम और विकास में झाँककर उसे जानने और समझने में इस प्रकार का अनुसंधान काफी सहयोगी सिद्ध होता है ।
3. अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के अनुसंधान में अतीत का पुनः सृजन कर जो बीत गया है उसे फिर अपनी तरह से सबके सामने लाने का प्रयत्न करता है ।
4. जो घटनायें घट चुकी हैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता और न उनकी उसी रूप में पुनरावृत्ति हो सकती है । ऐसी अवस्था में अनुसंधानकर्ता के पास उनके बारे में जानने का एक ही जरिया बचता है और वह है उन स्रोतों तक पहुँचना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटित हुई घटना का साक्ष्य प्रदान कर सकते हों ।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)



5. शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध साक्ष्य / प्रलेख आदि का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करके ऐसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनसे जो अतीत में घट चुका है उसका सही सही ब्योरा दिया जा सके ।
6. अतीत की घटनाओं की व्याख्या एवं वर्णन करने में अनुसंधानकर्ता को कालक्रम (घटनाओं के घटने का क्रम) का ध्यान रखना होता है । पर ऐसा करते हुये उसे यह समझना होता है कि घटनाओं को उनके घटने के क्रमानुसार व्यवस्थित करने से ही अनुसंधान कार्य पूरा नहीं हो जाता । असली बात तो इन घटी हुई घटनाओं के वांछित अर्थापन और व्याख्या से है ताकि हाथ में ली हुई अनुसंधान समस्या या उठाये गये प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति में सहायता मिले ।
7. अपने ऐतिहासिक अनुसंधान के परिणामों को अनुसंधानकर्ता द्वारा ऐसे सामान्यीकरण तथा निष्कर्षित तथ्यों के रूप में लिखा जाता है जिनमें न केवल वर्तमान में घटने वाली बातों को समझने में सहायता मिले बल्कि उनसे भविष्य में घटने वाली बातों का भी अनुमान लगाया जा सके ।

8. ऐतिहासिक अनुसंधान में घटनाओं के घटने के कालक्रम पर ध्यान देने के अतिरिक्त किसी विचार दर्शन विशेष (जैसे साम्यवाद, जनतन्त्र, पूँजीवाद आदि) के उद्गम, विकास और प्रभाव से संदर्भित बातों की ऐतिहासिक खोज और विवेचना करने पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है

इस तरह हम कह सकते हैं कि

ऐतिहासिक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान है जिसमें अतीत की घटनाओं को प्रकाश में लाने वाले उपलब्ध साक्ष्यों की इस प्रकार खोज, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है ताकि अतीत को पूरी तरह समझने, उसमें आज के लिये सीख लेने तथा भविष्य का मार्गदर्शन करने में समुचित सहायता मिल सके ।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य (Aims of Historical Research)

ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :

1. ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए पूर्व कथन करना है ।
2. इसका प्रमुख उद्देश्य अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है ।
3. ऐतिहासिक अनुसंधान का एक उद्देश्य अतीत की घटनाओं का सही स्वरूप प्रस्तुत करना है ।
4. ऐतिहासिक अनुसंधान, अनुसंधानकर्ताओं की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य का सम्बन्ध स्थापन है ।
5. ऐतिहासिक अनुसंधान का एक उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में नई दिशा देने तथा नीति-निर्धारण में सहायता करना है ।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

6. ऐतिहासिक अनुसंधान इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि आज जो सिद्धान्त तथा व्यवहार से हैं, उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है।
7. ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य हमारे गौरवमयी अतीत का ज्ञान कराकर हमें आत्म-गौरव करना है।
8. ऐतिहासिक अनुसंधान का एक उद्देश्य है अतीत के सम्बन्ध में वर्तमान की जिज्ञासा को शान्त।
9. ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा अतीत की कमजोरियों तथा अच्छाइयों का अध्ययन करके, उसके अच्छाइयों को वर्तमान परि `क्ष्य में अपनाना है।
10. ऐतिहासिक अनुसंधान यह स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है, उसका प्रभाव उसके ऊपर तथा समाज पर क्या पड़ा है।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## ऐतिहासिक अनुसंधान के उपागम

(Approaches of Historical Research)

ऐतिहासिक अनुसंधान के मुख्यतः दो उपागम प्रयोग में लाए जाते हैं-


1. पूर्वदर्शी उपागम (Perspective Approach) - इसे ऐतिहासिक शोध का प्राचीन उपागम कहते हैं। इस उपागम में शोधकर्ता अतीत से प्रारम्भ करके वर्तमान की ओर अग्रसर होता है। अतीत में क्या घटनाएँ हुई, उनका वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐतिहासिक अनुसंधान का यह व्यक्तिगत उपागम कहलाता है।
2. पाश्चात्यदर्शी उपागम (Retrospective Approach) - यह पूर्वदर्शी उपागम के ठीक विपरीत है। इसमें इतिहास का अध्ययन वर्तमान से प्रारम्भ कर अतीत में उनके कारण तलाशते हैं। वर्तमान की किसी घटना, समस्या या विकास की जड़ें अतीत में कहाँ हैं? यही इस उपागम का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अनुसंधान का यह नवीन उपागम है। इसे सामूहिक उपागम भी कहते हैं। यह मान्यता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का यह उपागम ही वर्तमान के लिए अधिक कल्याणकारी व हितकारी है।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रयुक्त सोपान या अवस्थायें (Stages and Steps involved in Historical Research)

ऐतिहासिक अनुसंधान में अन्य अनुसंधानों की तरह अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कुछ निश्चित सोपानों का अनुसरण करते हुये अपने अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाता है । प्रायः इसके लिये छः निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है ।



## **समस्या का चयन** (Selection of the Problem )

- 1. समस्या का चयन (Selection of the Problem )** – कोई भी व्यक्ति जो ऐतिहासिक अनुसंधान करना चाहता है उसका सबसे पहला कार्य है – समस्या का चयन करना। शोधकर्ता अपने पूर्वानुभव, ज्ञान तथा योग्यता एवं अध्ययन के आधार पर किसी व्यक्ति, संस्था, समाज या राष्ट्र के इतिहास या इतिहास के किसी पक्ष या घटना से सम्बन्धित किसी समस्या का चयन कर सकता है। शोधकर्ता द्वारा चयनित शोध समस्या किसी संर.ति या उप-संर.ति से सम्बन्धित हो सकती है। वह किसी घटना का विभिन्न कालों (Eras) के सन्दर्भ में भी अध्ययन कर सकता है। वह समस्या का चयन इस प्रकार करे जो अतीत के सम्बन्ध में नया ज्ञान दे सके या अतीत के सन्दर्भ में वर्तमान के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित कर सके।

इतिहास का क्षेत्र अत्यन्त विशाल है इसलिए शोधकर्ता को अपनी समस्या का परिसीमन (क्वसपउपजंजपवद) भी इसी स्तर पर कर लेना चाहिए। परिसीमन से शोधकर्ता अपने अध्ययन को एक सीमा में ही रख पायेगा, उसकी क्रियाओं को एक दिशा मिलती है तथा वह इधर-उधर भटकने से बचता है। परिसीमन समय, श्रम व धन की बचत करता है।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)



समस्या के चयन के समय शोधकर्ता को और भी कुछ तथ्य ध्यान में रखने चाहिए, जैसे.

(1) वर्तमान के सन्दर्भ में समस्या की उपयोगिता,

(2) समस्या से सम्बन्धित उपलब्ध सामग्री आदि ।

2. परिकल्पनाओं का निर्माण (थ्वतउनसंजपवद व भ्लिचवजीमेपे) . ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए समस्या का चयन कर लेने के बाद परिकल्पनाओं या उपकल्पनाओं का विकास किया जाता है। ऐतिहासिक शोध के लिए शोधकर्ता जिन उपकल्पनाओं का विकास करता है, वे समस्या के सम्भावित समाधान के लिए सहायक होती हैं। परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए शोधकर्ता को समस्या से सम्बन्धित तथ्यों का व्यापक तथा गहन अध्ययन करना पड़ता है। जिससे उसे समस्या के विविध पक्षों का ज्ञान हो सके। तथ्यों व घटनाओं को क्रम (मुनमदबम) देना मात्र ही उपकल्पना निर्माण नहीं है, तथ्यों तथा घटनाओं की वैधता व प्रामाणिकता का केवल साक्ष्य प्रस्तुत करना भी परिकल्पना नहीं है, अपितु परिकल्पना में अतीत की घटनाओं व तथ्यों के सम्बन्ध में नई जानकारियाँ प्रदान करना है जो वर्तमान के लिए उपयोगी हों। वे परिकल्पनाएँ शोधकर्ता की समस्या के सम्भाव्य उत्तर प्रदान करने वाली हों तथा जो पक्षपात तथा अस्पष्टता को दूर कर सकें।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)



3. **प्रदत्त संकलन (Collection of Data).** ऐतिहासिक अनुसंधान में शोधकर्ता को अनेक बार अज्ञात, आश्चर्यचकित करने वाली तथा रहस्यमयी तथ्यों तथा जानकारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसे अत्यन्त सावधानी के साथ प्रदत्तों का संकलन करना चाहिए। ऐतिहासिक प्रदत्तों के स्रोत (Sources of Historical Data) ऐतिहासिक अनुसंधानों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अतीत के घटनाक्रमों, व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं आदि से सम्बन्धित होती है। वस्तुतः ऐतिहासिक अनुसंधानों का विषय क्षेत्र वर्तमान न होकर पुरातन अतीत होता है जो उस समय की उपलब्ध सामग्री पर आधारित होता है। यहाँ यह इंगित करना उचित व आवश्यक ही होगा कि ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोचक तथा अपरिहार्य पक्ष ऐतिहासिक प्रदत्तों के स्रोत तथा इनको तैयार करने वाले व्यक्तियों के श्रष्टिकोणों को जानना है। वस्तुतः ऐतिहासिक आधार सामग्री के स्रोत प्रायः अत्यन्त भ्रामक, अस्पष्ट, अपूर्ण तथा परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान सदैव ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों, जटिलताओं तथा विसंगतियों से ग्रसित रहते हैं। अतीत के अध्ययन के लिए उपलब्ध सामग्री निम्न प्रकार की हो सकती है—

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

- (i) प्रकाशित ग्रन्थ
- (ii) अप्रकाशित पाण्डुलिपियाँ
- (iii) पावाण / ताम्रपत्रों पर खुदे अभिलेख
- (iv) सरकारी दस्तावेज
- (v) सिक्के व मुद्राएँ
- (vi) दैनिक जीवन की वस्तुएँ
- (vii) औजार
- (viii) रिकार्डिंग्स
- (ix) भग्नावशेष
- (x) लोक वृत्तान्त
- (xi) चित्र

निश्चय ही अनुसंधानकर्ता के लिए सटीक, निष्पक्ष व विश्वसनीय ढंग से अतीत को जानना, समझना व मूल्यांकित करना एक अत्यन्त कठिन कार्य होता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान हेतु प्रदत्तों के संग्रहण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर आश्रित में रहना पड़ता है।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

ऐतिहासिक अनुसंधानों में संग्रहित किये जाने वाले प्रदत्तों के स्रोतों को दो मुख्य भागों यथा (प) प्राथमिक स्रोत तथा (पप) द्वितीयक स्रोतों में बाँटा जा सकता है। आगे ऐतिहासिक प्रदत्तों के इन दोनों स्रोतों की चर्चा की गयी है।

खोजकर्ता को प्रदत्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रदत्तों के स्रोतों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं -

(i) मूल स्रोत (Primary Sources)

(ii) गौण या द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources) ।

(i) **मूल स्रोत (Primary Sources)**. ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए जो प्रदत्त संकलित किये जाते हैं उन प्रदत्तों के मूल स्रोत या प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है। ये प्रदत्त समस्या से सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी प्रदान करते हैं तथा अध्ययन के लिए ठोस तथा सशक्त आधार प्रस्तुत करते हैं। ऐतिहासिक प्रदत्तों के मूल स्रोतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

(अ) जान-बूझकर संचरित सूचनाएँ – मौखिक या लिखित प्रमाण-पत्रों के रूप में या किसी घटना विशेष में भाग लेने वाले या उसे देखने वाले, लिखे गये या रखे गये आलेख, जैसे – संविधान, चार्टर, न्यायालयों के निर्णय, शासकीय आलेख, आत्मकथाएँ, पत्र, दैनन्दिनी, वंशावली, सन्धि- दस्तावेज, परमिट, लाइसेन्स, घोषण-पत्र, उद्घोषणाएँ, प्रमाण-पत्र, विधेयक, रसीदें, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, प्रचार – पत्र, मानचित्र, रेखाचित्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, सूची – पत्र, बिल, चित्र – चित्रकारी, शिलालेख, आलेख, प्रतिलेखन तथा अन्य अनुसंधान- प्रतिवेदन आदि इस वर्ग में आते हैं।

(ब) अवशेष – ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अवशेषों के रूप में अनजाने में संचरित प्रमाण भी मूल स्रोत की श्रेणी में आते हैं। इस वर्ग में मानवीय अवशेष, ममी (डनउल ), जमीन से खोदकर निकाले गये औजार, हथियार, घरेलू सामान, भाषाएँ, विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ आदि को रखते हैं।

जाने एवं अनजाने दोनों ही प्रकार के प्रमाणों में केवल निरीक्षक के विचार एवं चिन्तन ही भौतिक घटना और उस घटना के सम्बन्ध में सूचना को प्रयोग करने वाले के मध्य कार्य करते हैं।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)

## प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

ऐतिहासिक अनुसंधान के प्राथमिक स्रोतों से तात्पर्य कुछ स्रोतों से है जिनका लेखन, रचना या प्रस्तुतीकरण उन व्यक्तियों के द्वारा आँखों-देखी तथा कानों- सुनी सूचनाओं के आधार पर किया गया है जिन्होंने सम्बन्धित घटनाक्रम में या तो स्वयं प्रतिभाग किया था अथवा उस घटना का स्वयं अवलोकन किया था। प्रतिभागियों तथा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा घटनाक्रम का विवरण होने के कारण ऐतिहासिक अनुसंधानों में इन्हें अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय प्रदत्त के रूप स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न प्रकार की सामग्री आती है-

(1) **अभिलेख (Documents)** अभिलेख ऐसे साक्ष्य होते हैं जो घटना में प्रतिभागी या प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के द्वारा लिखे एवं संरक्षित किये जाते हैं। वस्तुतः इनकी रचना घटना से अन्यो को अवगत कराने तथा भविष्य में प्रयोग हेतु साक्ष्य छोड़ जाने के निमित्त की जाती है। इनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे संविधान अधिनियम, राजपत्र, न्यायालयी निर्णय, वित्तीय संलेख, बैठकों की कार्यवाही, सरकारी प्रकाशन, पंजिकाएँ, वार्षिक प्रतिवेदन, जनगणना सूचनाएँ, अनुबंध पत्र मानचित्र, प्रतिवेदन

अनुसंधान आख्या, पम्फलैट्स, विज्ञापन, संविदाएँ आदि, वैयक्तिक अभिलेख जैसे आत्मकथाएँ, शपथ-पत्र, दैनन्दिनी वंशावलियों, वसीयत, भाषण, लेख पत्र, पाण्डुलिपियों आदि जनसंचार के माध्यम यथा समाचार-पत्र पत्रिकाएँ, चलचित्र, जोडियो-वीडियो रिकार्डिंग, चित्र, खुदाई, संस्मरण आदि आते हैं। इनके अवलोकन एवं विश्लेषण से अतीत में घटी घटनाओं तथा उनकी पृष्ठभूमियों की सम्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है।

- (ii) **मौखिक वृत्तान्त (Oral Testimony)** – इस वर्ग के अन्तर्गत घटना में प्रतिभाग करने वाले अथवा घटना को स्वयं देखने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से कहे गये साक्ष्य आते हैं। वस्तुतः ये घटना के साक्षी के रूप में या तो औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किये गये होते हैं अथवा साक्षात्कारों में साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किये गये होते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों व प्रतिभागियों के द्वारा घटनाक्रम का मौखिक वृत्तान्त ऐतिहासिक अनुसंधानों में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

(iii) **खण्डहर तथा अवशेष (Relics and Remains)** घटनाक्रम से जुड़ी वे वस्तुएँ होती हैं जो भग्नावशेषों के रूप में पाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत जीवाश्म, खण्डहर तथा अवशेष वस्तुतः कंकाल, फर्नीचर, उपकरण, भवन, बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के, कला, चित्र, अस्त्र-शस्त्र, वस्त्र, भोजन सामग्री आदि आते हैं। यह सामग्री जान-बूझकर नहीं छोड़ी जाती है और न ही इसका लक्ष्य भावी पीढ़ियों को सूचनाओं को हस्तान्तरित करने का होता है। वरन् समय के थपेड़ों के बावजूद कुछ टूटी-फूटी या नष्टप्रायः प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त सामग्री शेष रह जाती है जो कालान्तर में उत्खननों के दौरान प्राप्त होती है एवं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण सहारा बनती है। इतिहास लेखन से पूर्व के यु की जानकारी की दृष्टि से इस प्रकार की पुरातत्वीय सामग्री अत्यन्त उपयोगी होती है।

**INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES IN EDUCATION**

Bilaspur (Chhattisgarh)



(ii) **गौण स्रोत (Secondary Sources )** जिन व्यक्तियों ने न तो मौलिक घटना को देखा है और न उसमें सक्रिय रूप से भाग ही लिया है उनके द्वारा लिखित अथवा वर्णित पुस्तकें, लेख आदि सूचना के शौण साधन ही कहे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों हेतु इन साधनों का उपयोग सामान्यतः सीमित होता है क्योंकि इन साधनों के द्वारा दी गयी सूचना में वास्तविक घटना में भाग लेने वाले या देखने वालों द्वारा कही गयी या लिखी गयी बातें ही प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसी सूचनाएँ बहुधा मौलिक घटना से बहुत दूर होती हैं। अधिकांशतरु इतिहास की पाठ्य-पुस्तकें तथा ज्ञान - कोश गौण साधनों के उदाहरण हैं।

एक अच्छे अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक साधन से ही अधिकतम प्रदत्त खोजने चाहिए। प्राथमिक साधनों के विषय में सूचना प्राप्त करने हेतु गौण साधन का उपयोग कभी-कभी किया जा सकता है परन्तु उन्हें अन्तिम समझकर उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।